



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1947 (श10)

(सं० पटना 174) पटना, वृहस्पतिवार, 05 फरवरी 2026

सं०सं० पि0व0/छात्रावास/नि0प्र0सं०-45-03/2018-225
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

3 फरवरी 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 से "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत निर्धारित छात्रावास अनुदान की दर रू० 1000/- (रू० एक हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह को संशोधित करते हुए रू० 2000/- (रू० दो हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह पुनर्निर्धारित किये जाने एवं छात्रावास अनुदान दर के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 19,56,00,000/- (रू० उन्नीस करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प सं०-1063 दिनांक-17.05.2018 के द्वारा दी गयी स्वीकृति के आलोक में राज्य स्कीम मद से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवासित एवं अध्ययनरत प्रति छात्र/छात्रा को रू० 1000/- (रू० एक हजार) मात्र की दर से छात्रावास अनुदान की राशि दी जा रही थी।

2. वर्तमान में बढ़ती महँगाई को देखते हुए समाज के कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने की उद्देश्य पूर्ति हेतु "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना" की वर्तमान दर में वृद्धि करते हुए रू० 2000/- (रू० दो हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह किये जाने पर विचार किया गया।

3. अतः सम्यक् विचारोपरांत वित्तीय वर्ष 2025-26 से "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत निर्धारित छात्रावास अनुदान की दर रू० 1000/- (रू० एक हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह को संशोधित करते हुए रू० 2000/- (रू० दो हजार) प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह पुनर्निर्धारित किये जाने एवं छात्रावास अनुदान दर के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय रू० 19,56,00,000/- (रू० उन्नीस करोड़ छप्पन लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. योजना पुनरीक्षण के फलस्वरूप वर्द्धित (पुनर्निर्धारित) दर दिनांक-01.01.2026 से प्रभावी होगा।

5. बजट शीर्ष-

राज्य स्कीम माँग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उप शीर्ष-0101-शिक्षा, विषय शीर्ष-3401- छात्रवृत्ति/वजीफा (0101.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा) विपत्र कोड-11-2225032770101 के तहत भारित होगा।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-29.01.2026 में मद संख्या-09 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एच0 आर0 श्रीनिवास,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 174-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>